मेरठ विकास प्राधिकरण

की

98 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 17—12—2012

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 98वीं बैठक दिनांक 17-12-2012 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 98वीं बैठक मेरठ विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 17-12-2012 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1.	श्री तनवीर जफर अली	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री आर0के0सिंह	मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ (प्रभारी जिलाधिकारी)	सदस्य
3.	श्री डी0सी0 गुप्ता,	सहयुक्त निदेशक, (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री मनोज कुमार,	प्रतिनिधि-आयुक्त, एन0सी0आर0, गाजियाबाद।	सदस्य
5.	श्री राज कुमार	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
6.	श्री पारस नाथ सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, {प्रतिनिधि-विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8, लखनऊ।} मेरठ।	सदस्य
7.	श्री विमल कुमार शर्मा,	संयुक्त आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ जोन, मेरठ।	सदस्य
8.	डा0 आभा गुप्ता,	संयुक्त निदेशक उद्योग, मेरठ मण्डल, मेरठ।	सदस्य

9.	श्री पी0के0गोयल,	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
10.	डा0 राजेश सिंह,	दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य
11.	श्रीमती इरशाद जहाँ,	मकबरा डिग्गी, पब्लिक गर्ल्स स्कूल, मेरठ।	सदस्य
12.	श्री परविन्दर इसु,	32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य
13.	श्री जे0बी0यादव,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–04–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–04–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन कर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी कि चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वाँछित कार्यवाही न कर औपचारिकता की जा रही है तथा यह निर्देश दिये गये कि एक माह की अवधि के अन्दर कार्यवाही कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन कर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाये कि क्या वर्तमान में भी स्थगन आदेश प्रभावी है यदि स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो एक माह की अवधि के अन्दर कार्यवाही करे।

प्राधिकरण की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 17–11–2009 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 7

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 92 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 29–07–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 93 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 13–12–2010 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 9

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 : 13

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव–93वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 13–12–2010 पर अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 : 4

मा0 बोर्ड द्वारा आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 94वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11–04–2011 पर अनुपालन आख्या–

मद सं0 6

मा0 बोर्ड द्वारा आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15 व 19

मा0बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 : 20, 21 व 22

यह अत्यन्त खेदजनक है कि निर्णय के एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर

निगम द्वारा अन्तिम रूप से सार्थक कार्यवाही नहीं की गई है। नगर आयुक्त द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि या तो चिन्हित अवशेष कार्यो को मेरठ विकास प्राधिकरण करा दें अथवा वाँछित धनराशि नगर निगम को उपलब्ध करा दें। तदनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से बोर्ड द्वारा उक्त कार्यवाही की अपेक्षा की गई। 3 महीने में कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाये।

मद सं0 : 23 व 24

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 1

(1) माननीय बोर्ड द्वारा संशोधित बजट अनुमोदित किया गया।

(2) 96वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 20, 21 व 22 पर क्रमशः पल्लवपुरम फेस–2, श्रद्धापुरी फेस–1 व गंगानगर के निर्णयानुसार 3 महीनें में कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाये अन्यथा उत्तरदायी को चिन्हित किया जाये।

(3) स्पोर्टस् गुडस् काम्पलेक्स, सैनिक विहार एवं लोहियानगर योजना के समबन्ध में मुख्य अभियन्ता, नगर निगम द्वारा मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि यें कालोनियाँ हस्तान्तरण योग्य नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मा0 बोर्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिये गये कि योजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण कराकर नगर निगम को हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

मद सं0 2

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव–97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012

अनुपूरक मद सं0 1

माननीय बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि मेरठ विस्तारित क्षेत्र (दौराला महायोजना–2021) की एन0सी0आर0 बोर्ड में सम्पर्क करके एन0सी0आर0 बोर्ड के निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये जिन निर्देशों का अनुपालन समय से नहीं किया है इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की एवं तीव्र गति से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन आख्या को देखकर बोर्ड द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गयी। यह सम्प्रेषण किया गया कि बोर्ड के निर्देश का पूर्णतः अनुपालन वर्षो बीत जाने के बाद भी न होने से बोर्ड की उपादेयता, सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। अपेक्षा की गयी कि भविष्य में बोर्ड के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17—12—2012 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद सं0 : 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना के फेस—।। पॉकेट—डी के ले—आउट में प्रस्तावित सेटेलाईट बस अड्डे हेतु लगभग 5.00 एकड भूमि का भू—उपयोग को ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा की गयी। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को अनेको पत्र लिखे गये। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि निगम भूमि लेने का इच्छुक नहीं है। इसलिये यह प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है। मा0 बोर्ड द्वारा इसे ड्रॉप किया गया।

मद सं0 : 2

शताब्दी नगर योजना के पॉकेट—4 "सी" के अन्तर्गत ग्राम—काशी के खसरा नम्बर—1206 आंशिक, 1207 व 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 व 1225 के आंशिक के भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी तथा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये जिसमें एक सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी व एक तकनीकी सदस्य (मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण) तथा मुख्य नगर नियोजक रहेगा। समिति प्रस्ताव का परीक्षण करेगी तथा तत्पश्चात् शासन को प्रस्ताव भेजा जाये।

मद सं0 : 3

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री पी0एन0सिंह, अपर निदेशक, कोषागार व पेंशन प्रतिनिधि–विशेष सचिव वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग, लखनऊ द्वारा बोर्ड के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि प्राधिकरण कर्मचारियों को प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता अनुमन्य नहीं है जिन पर ''उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011'' लागू की गयी है। मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि चूँकि प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि चिकित्सा भत्ता देय होगा अथवा नहीं, अतः जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, विचाराधीन नहीं है।

मद सं0 : 4

श्री हरीराज सिंह, उद्यान निरीक्षक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी योजना से डिफेन्स एन्कलेव योजना में डयूटी पर जाते समय अज्ञात वाहन से सडक दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोटील होने के फलस्वरूप उपचार में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं0 : 5

श्री महक सिंह, पी0सी0एस0 सेवानिवृत्त को पूर्व शर्तोनुसार दिनांक 01–10–12 से आगामी 06 माह तक प्राधिकरण में सलाहकार के रूप में रखे जाने हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन शर्तो के अधीन कार्यरत् है, उन शर्तो के आधार पर कार्यकाल बढ़ाया जाना समीचीन नहीं है।

मद सं0 6

मेरठ विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा करके मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत 3 राष्ट्रीय राज्य मार्गों यथा– एन0एच0–58 (मेरठ रूड़की मार्ग), एन0–एच–119 (मेरठ बिजनौर मार्ग) एवं एन0एच0–235 (मेरठ हापुड मार्ग) में मार्गाधिकारों के दोनों ओर 500–500 मीटर चौड़े क्षेत्र का विस्तार किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया तथा प्रस्ताव का शेष भाग वर्तमान में विचारणीय नहीं पाया गया।

मद सं0 7

भूमि विवाद के कारण आवंटित एवं रजिस्ट्रीकृत भूमि का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में भूखण्ड परिवर्तन पर होने वाले स्टाम्प डयूटी की धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, विचारणीय नहीं पाया गया।

मद सं0 : 8

शताब्दीनगर आवासीय योजना में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से प्रभावित भवनों/भूखण्डों के समायोजन/परिवर्तन का प्रस्ताव।

हवाई पट्टी के विस्तारीकरसण से प्रभावित 80 सम्पत्तियों जिनके विक्रय विलेख निष्पादित हो चुके है, को शिफ्ट करने पर पुनः विलेख कराये जाने वाले व्यय (स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क) प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने पर सहमति दी गयी।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 1

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों को देय साईकिल भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा शासनादेश के अनुसार परीक्षण करने की अपेक्षा की गयी।

सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विकसित योजनाओं जिनकी विकास सेवाएं नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई है, में आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा अनुरक्षण की दरों का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये। दरों के सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों से ज्ञात कर लिया जाये कि उनके यहाँ इस विषय में क्या व्यवस्था है।

अनुपूरक मद सं0 3

वेदव्यासपुरी आवासीय योजना के बीच में पडने वाले ग्राम–सुन्दरा उर्फ पूठा के अनार्जित भूमि खसरा नम्बर 01मि0 क्षेत्रफल 0–12–0 बीघा अथवा 1520 वर्गमीटर जिस पर प्राधिकरण द्वारा प्लाटिंग कर आवंटन की कार्यवाही कर दी गयी है, को योजना में संबंधित भू–स्वामी के पक्ष में समायोजित अथवा बदले में अन्यत्र भूमि दिये जाने के सबंध में।

अनार्जित भूमि का आवंटन क्यों किया गया। इसके लिये कौन उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व निर्धारण कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद सं0 4

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजना सं0 11 जागृति विहार (विस्तार) मेरठ में महायोजना–2021 के अन्तर्गत 45 मीटर चौड़ी सड़क के अलाइंगमेन्ट के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा सचिव की अध्यक्षता में मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद तथा सहयुक्त निदेशक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ की समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी आख्या देगी जिसके आधार पर कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक मद सं0 5

मेरठ महायोजना–2021 में निर्दिष्ट ग्राम कुण्डा की औद्योगिक भू–उपयोग की भूमि खसरा सं0 375 पर बारातघर हेतु प्रस्तावित श्री विरेन्द्र कुमार जैन के मानचित्र के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा समिति की आख्या में उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मा0 बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि रोहटा रोड़ पर नन्द विहार कालोनी के सामने लगभग 2 लाख वर्ग मीटर पर तथा मवाना रोड़ पर अवैध कालोनी बन रही है जिसके परीक्षण हेतु सचिव, मुख्य अभियन्ता व मुख्य नगर नियोजक की समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। समिति अवैध कालोनी की विडियोग्राफी करेगी तथा अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी।

मा0 बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अवैध निर्माण की सील लगाते समय वीडियोग्राफी कराये तथा अगर किसी युक्तियुक्त कारण से सील खोला जाता है तो सील खोलते समय निर्माण का परीक्षण कर लें कि सील लगने के पश्चात् निर्माण तो नहीं किया गया है।

अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय एवं बोर्ड के मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

20.XII.12

(जे0बी0यादव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

20.12.12

(तनवीर जफर अली)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

20.12.2012

(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।